

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

1

फर्द अहवाल

मु० न० 15/13

तारीख 17.3.13

उनवान - प्रहलाद बनाम तहसीलदार

दावा - बावट घोषणा खातेदारी श्याकी निषेधना

दावा पार्ती स्वयं प्रहलाद कुमार ने दावा बावट घोषणा
खते खातेदारी एवं श्याकी निषेधना पेश किया। इतनेपर
क्रिया गया। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी
को सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 22.4.13 को
पेश हो।

597-78
18.3.13

उप जिला कलेक्टर
(टोडाभीम)

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण को बाद तारीख
नोटिस प्राप्त हुए। बावट सूचना को उपस्थित
नहीं। वार की तरफ से कार्यका स्थगन रखा गया।
पिसाण पेन्शन शिक्ति में पधारी है। वास्तु अधिकारी
आदेश दिनांक 17/3 को पेश हो।

वकुलाय उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा
पीठसन अधिकारी भ्रमण/मौखिक/असकार पर
ह। मतानुसार दिनांक 18/3 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई। दादी एवं जतिवादी कोर्ट में
उपस्थित नहीं हुए हैं। फर्द का आवाज दिलवाई
गई। किन्तु फर्दी कोर्ट में उपस्थित नहीं
हुए हैं। अतः अदम हाजिरी एवं अदम पेशी में
दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली के
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
रहता है।

15